

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

संख्या : 4/ब1-102/2008, गृ0आ0 ...../ बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम, 7, 2007) की धारा-55 सह पठित धारा-94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-663(क) के परिशिष्ट-103 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

परिशिष्ट-103 [नियम-663(क)]

बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के परिशिष्ट-103 की कंडिका-5 की उप कंडिका-(ण) का संशोधन।- बिहार पुलिस हस्तक 1978 के परिशिष्ट-103 की कंडिका-5 की उप कंडिका-(ण) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

“(ण) शारीरिक योग्यता परीक्षा- कुल 100 अंक

(1) दौड़-50 अंक

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - 1 मील (1.6 कि०मी०) [अधिकतम 6 मिनट में]

5 मिनट तक - 50 अंक

5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकण्ड तक - 40 अंक

5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक - 30 अंक

5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक - 20 अंक

सभी कोटि की महिलाओं के लिए-1 कि०मी० [अधिकतम 6 मिनट में]

5 मिनट तक - 50 अंक

5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकण्ड तक - 40 अंक

5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक - 30 अंक

5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक - 20 अंक

6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा।

(2) गोला फेंक - अधिकतम 25 अंक

सभी कोटि के पुरुषों के लिए :- 16 पाँड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा।

16 फीट से ज्यादा एवं 17 फीट तक - 09 अंक

17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक - 13 अंक

18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक - 17 अंक

19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक - 21 अंक

20 फीट से ज्यादा - 25 अंक



सभी कोटि की महिलाओं के लिए :- 12 पौंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा।

10 फीट से ज्यादा एवं 11 फीट तक	- 09 अंक
11 फीट से ज्यादा एवं 12 फीट तक	- 13 अंक
12 फीट से ज्यादा एवं 13 फीट तक	- 17 अंक
13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक	- 21 अंक
14 फीट से ज्यादा	- 25 अंक

(3) ऊँची कूद- अधिकतम 25 अंक

सभी कोटि के पुरुषों के लिए :- न्यूनतम ऊँचाई 4 फीट।

04 फीट से ज्यादा एवं 4 फीट 4 ईंच तक	- 13 अंक
04 फीट 4 ईंच से ज्यादा एवं 4 फीट 8 ईंच तक	- 17 अंक
04 फीट 8 ईंच से ज्यादा एवं 5 फीट तक	- 21 अंक
05 फीट से ज्यादा	- 25 अंक

सभी कोटि की महिलाओं के लिए :- न्यूनतम ऊँचाई 3 फीट।

03 फीट से ज्यादा एवं 3 फीट 4 ईंच तक	- 13 अंक
03 फीट 4 ईंच से ज्यादा एवं 3फीट 8 ईंच तक	- 17 अंक
03 फीट 8 ईंच से ज्यादा एवं 4 फीट तक	- 21 अंक
04 फीट से ज्यादा	- 25 अंक

उपर्युक्त तीनों स्पर्धाओं, यथा- दौड़, गोला फेंक एवं ऊँची कूद स्पर्धा/स्पर्धाओं, प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा।

जिला एवं सैन्य पुलिस के सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची, शारीरिक योग्यता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा- दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर, तैयार की जायेगी। शारीरिक योग्यता परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके पारस्परिक स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।”

सिपाही बहाली हेतु शेष अर्हताएँ पूर्ववत् रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-4/ब1-102/2008,गृ0आ0...../पटना,

दिनांक.....2017

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-4 / ब1-102 / 2008, गृ0आ0...../पटना, दिनांक.....2017  
प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,  
पटना/केन्द्रीय चयन पर्सद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई  
हेतु प्रेषित।

ह0/-

ज्ञापांक:-4 / ब1-102 / 2008, गृ0आ0.....5010...../पटना, दिनांक.....16.6.2017  
प्रतिलिपि :- आई0 टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव

Government of Bihar  
Home Department  
(Police Branch)

**Notification**

No.- 4/B-1-102/2008 H.P.,...../ In exercise of the powers conferred under Section-55 read with Section-94 of the Bihar Police Act, 2007 (Act 7 of 2007), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Appendix 103 of Rule-663(a) of the Bihar Police Manual, 1978 with effect from the date of issue of notification:-

Amendments

Appendix 103 [Rule-663 (a)]

Amendment of Sub-Para (o) of Paragraph-5 of Appendix 103 of Bihar Police Manual, 1978.- The Sub-Para (o) of Paragraph 5 "Written Examination" in Appendix 103 of Bihar Police Manual, 1978 shall be substituted by the following, namely:-

“(O) Physical Ability Test : Total 100 Marks

(1) Run: - Maximum 50 Marks

For Men of all categories - 1 mile (1.6 km) [in maximum 6 minutes]

Upto 5 minute - 50 Marks

More than 5 minute and up to 5 minute 20 sec - 40 Marks

More than 5 minute 20 sec and upto 5 minute 40 sec - 30 Marks

More than 5 minute 40 sec and upto 6 minute - 20 Marks

For Women of all category - 1 km [in maximum 6 minute]

Upto 5 minute - 50 Marks

More than 5 minute and up to 5 minute 20 sec - 40 Marks

More than 5 minute 20 sec and upto 5 minute 40 sec - 30 Marks

More than 5 minute 40 sec and upto 6 minute - 20 Marks

Candidate taking more than 6 minute shall be declared fail.

(2) Shot-put: - Maximum 25 marks

For Men of all categories – A Shot-put of 16 Pound will have to be thrown up to minimum 16 feet.

(i) More than 16 feet and up to 17 feet - 09 marks

More than 17 feet and up to 18 feet - 13 marks

More than 18 feet and up to 19 feet - 17 marks

More than 19 feet and up to 20 feet - 21 marks

More than 20 feet - 25 marks

6

For Women of all categories – A Shot-put of 12 pound will have to be thrown up to minimum 10 feet.

More than 10 feet and up to 11 feet	- 09 marks
More than 11 feet and up to 12 feet	- 13 marks
More than 12 feet and up to 13 feet	- 17 marks
More than 13 feet and up to 14 feet	- 21 marks
More than 14 feet	- 25 marks

**(3) High Jump - Maximum 25 marks**

For men of all categories - Minimum height 4 feet.

More than 4 feet and up to 4 feet 4 inch	- 13 marks
More than 4 feet 4 inch and up to 4 feet 8 inch	- 17 marks
More than 4 feet 8 inch and up to 5 feet	- 21 marks
More than 5 feet	- 25 marks

For women of all categories - Minimum height 3 feet.

More than 3 feet and up to 3 feet 4 inch	- 13 marks
More than 3 feet 4 inch and up to 3 feet 8 inch	- 17 marks
More than 3 feet 8 inch and up to 4 feet	- 21 marks
More than 4 feet	- 25 marks.

Candidate, not completing the minimum determined criterion in all the three events i.e. Run, Shot-put and high Jump, shall be declared fail.

Merit list for selection for the appointment to the post of Constable in Deistrict and Miniitary Police will be prepared on the basis of marks obtained by the candidates in all the three events under Physical Ability Test, viz. Run, Shot put and High Jump. In case of two or more candidates obtaining equal marks in the Physical Test, their enter-se place in merit list shall be determined on the basis of their dates of birth; and, in case of two or more candidates obtain equal marks in the Physical Ability Test and having the same dates of birth, on the basis of their educational qualification. Thus, in case of candidates obtaining equal marks, the older candidate and in case of candidates obtaining equal marks and having the same dates of birth, the candidate having the higher educational qualifications shall be placed higher in the merit list.”

2. Remaining eligibility criterion for Constable appointment shall be same as before.

By the order of Governor,

Sd/-

(Ranjan Kumar Sinha)

Additional Secretary to Govt.

Memo No.-4/B-1-102/2008 H.P..... Patna,

Dated...../

Copy to:- Superintendent , Government Press, Gulzarbagh, Patna – 07/Incharge e-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna to publish in Extra Ordinary Edition of Gazette.

It is requested that 1000 extra copies of notification may kindly be made available to Home Department (Police Branch) for use by the office.

Sd/-

Additional Secretary to Govt.


Memo No.-4/B-1-102/2008 H.P.....Patna, Dated.....2017  
Copy to :- Forwarded to Director General of Police, Bihar, Patna with the  
request that action may be taken to substitute the amended portions as per the orders  
of the State Government.

Sd/-

Additional Secretary to Govt.

Dated.....16.6.2017

Memo No.-4/B-1-102/2008 H.P....5010....Patna,  
Copy to :- Forwarded to I.T. Manager, Home Department, Bihar, Patna for  
information & necessary action.

  
Additional Secretary to Govt.